

01.09.2022

प्रार्थना पत्र दफतर से वाद जाँच पेश हुआ मुताविक डिक्ती पालना हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा का परवाना जारी हो। कि यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर रिपोर्ट दिनांक 10.10.2022 तक इस न्यायालय में पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)

10<sup>10</sup>/<sub>22</sub> वकील डिक्तीदार उप.। पत्र. वा.ले  
इंतजार पालना रिपोर्ट दि. 12/10/22  
की पेश हो।

12<sup>11</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत वेंच में  
पेश हुई। तहसीलदार राजाखेड़ा से पालना  
रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार राजाखेड़ा का  
नामोत्तरण स. 543 द्वारा डिक्ती की  
पालना कर ही गई। प्रकरण में अब कोई  
कार्यवाही शेष नहीं है अतः राष्ट्रीय लोक  
अदालत की भावना से प्रकरण इसी स्तर  
पर ड्रॉप किया जाता है पत्रावली कौंसल  
शुभार लेकर दारिजल दफतर हो।

10/11/22

उपखण्ड अधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत